| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल आर/3923/2005/जयपुर**<br>**कालूराम बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **एकल–पीठ**<br>**श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य**<br><br>**उपस्थितः–**<br>(1) श्री भीयाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलार्थी।<br>(2) श्री वी.पी.सिंह राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी<br><br>**निर्णय दिनांक :**<br><br>यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 31–3–05 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।<br><br>2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 6मिन रकबा 5बीघा ग्राम सुरेठी तहसील जमवारामगढ का आवंटन दिनांक 18–6–99 को किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31–7–02के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 31–3–05 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।<br><br>3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।<br><br>4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि गरीब किसानों को जो गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार है, जीविका के लिये आवंटन की गई थी। भूमि की मात्रा अत्यन्त अल्प है। आवंटन | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल आर/3923/2005/जयपुर**<br>**कालूराम बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | समिति ने भूमि सशर्त आवंटन की है। भूमि आवंटन के साथ ही किस्म भी परिवर्तन हो जाती है। भूमि की किस्म परिवर्तन कराने के अलग से आदेश जारी कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।<br><br>5- बहस के खण्डन में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म नदी नाला है जो आवंटन योग्य नहीं थी जो नदी के बहाव के काम आती है। आवंटन गलत किया गया है इसलिये उसे निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।<br><br>6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 6मिन रकबा 5बीघा ग्राम सुरेठी तहसील जमवारामगढ का आवंटन दिनांक 18-6-99 को किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31-7-02के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से इस तथ्य की निर्विवाद रूप से पुष्टि होती है कि आवंटित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नला है जिसका आवंटन नहीं हो सकता है।गै0 मु0 नला की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं होती है। इसलिये अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को गैर कानूनी मानते हुये उसे निरस्त करने में विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कोई भूल नहीं की है जिसकी | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल आर/3923/2005/जयपुर**<br>**कालूराम बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है।<br>8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**( धूकलराम कसवाँ )**<br>**सदस्य** | |